कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली।

कमांक– आदेश/रिमाण्ड/ 59 दिनांक 02.12.2020

––:: रिमाण्ड डयूटी बाबत कार्यालय–आदेश ::––

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–14 सपठित धारा–15(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं राजेश मीणा, आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली आदेश पारित करता हूँ कि माह दिसम्बर 2020 व माह जनवरी 2021 (शीतकालीन अवकाश को छोडकर) में पडने वाले अवकाश के दिनों में करौली जिला न्यायक्षेत्र के समस्त थानों की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्य की सुनवायी हेतु सम्बंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने या मुख्यालय पर नहीं होने की स्थिति में कॉलम संख्या–4 में अंकित दिनांक के लिए कॉलम संख्या–2 में अंकित पीठासीन अधिकारीगण को निम्नानुसार अधिकृत किया जाता हैः–

माह दिसम्बर 2020

क.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	तारीख
1	02	03	04
1	श्रीमती शैला फौजदार RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी	06 दिसम्बर 2020
2	सुश्री विभा आर्य RJS	अति0 न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली	12 व 13 दिसम्बर 2020
3	श्री राजीव दत्तात्रेय RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीमहावीरजी	20 दिसम्बर 2020

माह जनवरी 2021

क.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	तारीख
01.	02.	03.	04
1	सुश्री कान्ता कुमारी RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली	01 जनवरी 2021
2	श्री अमित कुमार शर्मा RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोडाभीम	03 जनवरी 2021
3	श्री मनोज कुमार RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट, सपोटरा	9 व 10 जनवरी 2021
4	श्री अमित कुमार शर्मा RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट टोडाभीम	17 जनवरी 2021
5	श्री युधिष्ठर मीणा RJS	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट कम–1 हिण्डौन	23 व 24 जनवरी 2021
6	श्रीमती शैला फौजदार RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट हिण्डौनसिटी	26 जनवरी 2021
7	श्री राजीव दत्तात्रेय RJS	न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमहावीरजी	31 जनवरी 2021

निर्देशः–

1. अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से पश्चातवर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक कार्य सम्पादित करेंगे।
2. यदि किसी कारण से निर्धारित तिथि के अगले दिन राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है तो वही पीठासीन अधिकारी उक्त कार्य करेंगे जो राजकीय अवकाश घोषित होने से पूर्व दिवस के लिए नियत किए गए थे।
3. नियत किए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी को असुविधा है तो वे किसी अन्य अधिकारी की सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को सूचित करेंगे तथा कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करें।
4. अवकाश के दिन यदि सम्बंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय पर है तो वह अपने परिक्षेत्र से सम्बंधित उक्त कार्य करेंगे।

Sd/-
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली

कमांक– 959
दिनांकः– 02.12.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1.श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, करौली ।

2.श्रीमान पुलिस अधीक्षक करौली को वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र

3.संबंधित अधिकारी सर्व श्री ....

4.सिस्टम अधिकारी करौली को इस निर्देश के साथ कि सभी अधिकारीगण की मेल आई डी पर आदेश भिजवावे एवं जिला न्यायालय करौली की बेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।

5.प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम, करौली।

6.आदेश पत्रावली /नोटिस बोर्ड

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
करौली।